77
11-3-15

न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल ग्वालियर खण्ड पीठ रीवा म0प्र0

निगरानी 724-III-15

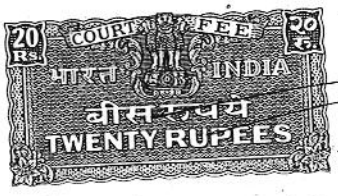

Rs 20/-

1• मुन्ना तनय श्री कलुआ कुम्हार

2• लौलिया तनय कलुआ कुम्हार दोनो निवासी ग्राम बांधा तह0 रामपुर बाघे0

निगरानीकार गण

आर. बी. सिंह
11-3-15

जिला सतना म0प्र0 - - - - -

बनाम
===

1• बंगाई तनय मल्ला कुम्हार उम्र 76 साल

क्रमांक 4798
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 17-3-15 को प्राप्त
रजिस्ट्रार ऑफ बोर्ड
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

2• ननका तनय मल्ला कुम्हार उम्र 61 साल

3• सजनमा पिता गौरा कुम्हार उम्र 66 साल

4• कोदुआ तनय मल्ला

5• रामखेलावन तनय गौरा कुम्हार

6• सददा तनय छोटको कुम्हार

7- रामसंजीवन तनय गौरा कुम्हार

8• बब्बू तनय ददुआ कुम्हार

9• मझौला तनय ददुआ कुम्हार

10• पांगल तनय छोटा कुम्हार

11• सुखलाल तनय छोटा कुम्हार

12• भूरा तनय छोटा कुम्हार

13• धनो तनय लालमन

14• देवा लालमन कुम्हार

15• सरमन तनय भैय्यन कुम्हार

16• चुनवामन तनय भैय्यन कुम्हार सभी निवासी ग्राम बांधा तह0 रामपुर बाघे0

गैर निगरानीकार गण

17- म0प्र0 शासन ---

=2=

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 7224/III/15 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	मुन्ना कुम्हार कार्यवाही तथा आदेश कन्घई आदि	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-01-16	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री आर०बी० सिंह उपस्थित। उनके ग्राह्यता पर तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण में पूर्व आदेश दिनांक 15-9-15 के पालन में ग्राह्यता से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी का अभिलेख प्राप्त हो चुका है। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 27-12-14 में धारा 5 का आवेदन स्वीकार करने का मुख्य आधार नामांतरण पंजी क्र०34 आदेश दिनांक 26-9-75 से आवेदक 1 एवं 2 के पक्ष में वारिसाना नामांतरण हेतु अनावेदकगण द्वारा दी गई सहमति को माना गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में वारिसाना नामांतरण के संबंध में अनावेदकों द्वारा कथित सहमति को संदिग्ध माना गया है तथा इसे जांच एवं परीक्षण योग्य मानते हुए धारा 5 के आवेदन को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष लेखीय तथा मौखिक साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण उभयपक्ष की साक्ष्य हेतु नियत किया गया। मेरे द्वारा प्रकरण में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में संलग्न नामांतरण पंजी क्र०34 आदेश दिनांक 26-9-75 की प्रमाणित प्रति	

[कृ. प. उ.

R-724/111/15 (गतना)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की छाया प्रति का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से पाया गया कि नामांतरण पंजी में अनावेदकगण को सहमति के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया विवादित अपीलाधीन नामांतरण पंजी में हुए नामांतरण आदेश से वास्तविक हितधारी व्यक्तियों का स्वत्व विलोपित किया जाना प्रकट हो रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधी० न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करते हुए आदेश दिनांक 27-12-14 यथावत रखा जाता है। इसके अतिरिक्त अनु० अधि० के उक्त आदेश से किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से बाधित होने की भी वर्तमान में कोई सम्भावना परिलक्षित नहीं हो रही है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्ष को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 27-12-14 स्थिर रखा जाता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। आदेश प्रति के साथ अधी० न्याया० का अभिलेख वापस किया जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा० रि० हो। सदस्य 4.1.16	

शाक्षेमुरवा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.